
	<p>नेशनलसीड्सकॉर्पोरेशनलिमिटेड (भारत सरकारकाउपक्रमलघुव्यवसाय कंपनी) “An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company” केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ जिलाश्रीगंगानगर (राज.) फोन: 01509-223873 ई-मेल :ago.csfsuratgarh@gmail.com</p>	<p>NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED (A Government of India Undertaking Miniratna Company) “An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company” CENTRAL STATE FARM, SURATGARH Distt:- SriGanganagar</p>	
---	---	---	---

क्र.स.सीएसएफ / 2-10 / फोडर / 2019-21 /

दिनांक: 31.05.2021.

अल्पकालीन निविदा-सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ में रबी 2020-21 में बोई गई चने की फसल से निकलने वाले बाथू की बिक्री हेतु मुहरबन्द निविदाएं दिनांक **09.06.2021** को अपरान्ह 1.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन सांय 2.30 बजे खोली जायेगी । निविदाएं देने से पहले रुपये 10,000.00 (दस हजार) मात्र अमानत राशि का डीडी जो कि **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़** के नाम देय हो, जमा करानी होगी। ठेकेदार को पेन नम्बर,वोटर पहचान पत्र की प्रति देनी जरूरी है। अन्य नियम व शर्तें रुपये 118/- का डीडी जमा करा कर किसी भी कार्य दिवस में सुबह 9.30 बजे से सांय 5 बजे तक प्राप्त की जा सकती है। अन्य नियम व शर्तें निगम की वेबसाईट www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड की जा सकती हैं।

प्रबन्धक (उत्पादन)
कृते निदेशक

निविदा प्रपत्र

निदेशक,
केन्द्रीय राज्य फार्म,
सूरतगढ़ (राज0)।

विनोईग सेन्टर पर पड़े बाथू को खरीदने के लिए टेण्डर

क्रं0 सं0	ब्लॉक नं0	बाथू की अनुमानित मात्रा क्विंटल में	रकम प्रति क्विंटल रूपयों में जो फार्म में बाथू के बदल जमा करानी है ।
1.	खण्ड नं0 – एक	1000.00	
2	खण्ड नं0 – दो, तीन	850.00	

हस्ताक्षर

नाम व पता.....

.....

.....

मोबाईल नं0

केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ (राज0)

विनोईग सेन्टर पर पड़े बाथू (2020-21 में) को खरीदने हेतु नियम व शर्तें

- 1 खण्ड 1, 2, 3 में बाथू खरीदने के लिए निविदा/खुली बोली में भाग लेने के लिए इस कार्यालय में धरोहर राशि रु0 10000 (दस हजार रु0 मात्र) फार्म खजांची के पास डी0डी0 जो कि **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड सूरतगढ़** के नाम देय हो, जमा करवाने होंगें। अमानत राशि कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी। बाथू की अनुमानित मात्रा (लगभग 500 क्विंटल, मात्रा कम या ज्यादा हो सकती है) की 25 प्रतिशत रकम अगले दिन खरीददार को जमा करानी होगी। जोकि आखिरी रिलीज ऑर्डर में समायेजित की जायेगी। 25 प्रतिशत रकम जमा नहीं कराने पर अमानत राशि जब्त करली जायेगी।
- 2 बाथू से मिट्टी आदि साफ करने के लिए तथा बोरी भराई, लदाई आदि सभी कार्य ठेकेदार को करने होंगें। बाथू ले जाने के लिए वाहन ठेकेदार का होगा।
- 3 बाथू की मात्रा लेने से पहले रकम जमा कराकर रिलीज ऑर्डर लेना होगा तभी बाथू दिया जायेगा।
- 4 बाथू से निकली हुई मिट्टी/कचरे को ठेकेदार अपने ट्रैक्टर से विनोईग सेंटर से बाहर डलवायेगा तथा विनोईग सेन्टर को साफ करेगा।
- 5 बाथू सफाई या लदाई आदि के समय कोई दुर्घटना हो जाये तो इसके लिए फार्म कतई जिम्मेवार नहीं होगा तथा पूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
- 6 कार्य करने की अवधि सुबह 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक ही होगी। कार्य अवधि कार्य आदेश से 45 दिन तक होगी।
- 7 कार्य के दौरान ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा फार्म का किसी प्रकार का नुकसान किया गया तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी।
- 8 कार्य के दौरान ठेकेदार के द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों के भुगतान की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, इसके लिए फार्म कतई जिम्मेदार नहीं होगा।
- 9 यदि कोई ठेकेदार कार्य को बीच में छोड़ देता है तो उसकी अमानत राशि व माल जब्त कर लिया जाएगा। तथा उसके बाद एच-2 को मौका दिया जायेगा।
- 10 यदि उपरोक्त अनुबन्ध/करार के किसी उपबन्ध से कोई विवाद पक्षकारान के मध्य उत्पन्न होता है तो उस दशा में प्रकरण निगम के सह-प्रबन्ध-निदेशक को संदर्भित किया जायेगा जिसको यह अधिकार होगा कि वह स्वयं या अपने द्वारा नामित एकल विवेचक (सोल आर्बीटेटर) के द्वारा विवाद का निवटारा आर्बीटेशन एवं कानसिलिएशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत कराए। पक्षकारान पर यह बाध्यकारी होगी कि उक्त दशा में न्यायालय जाने से पहले आर्बीटेशन द्वारा अपने विवादों का समाधान करें।
- 11 सभी प्रकार की वैधानिक देयता ठेकेदार की होगी।
- 12 सफल बोलीदाता को ठेके के सम्बन्ध में एक समझौता (एग्रीमेन्ट) रूपये 500/- के स्टाम्प पेपर जो ठेकेदार द्वारा खरीदा जायेगा, पर करना होगा।
- 13 यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय-समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जानें से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

प्रबन्धक (उत्पादन)